Australian Government
Department of Agriculture and Water Resources

निर्णयों पर पुनर्विचार और समीक्षा

यदि आप *आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम* 1992 (*Imported Food Control Act 1992*) **प्रारम्भिक निर्णय** से प्रभावित हैं, तो आप उस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध कर सकते हैं। **प्रारम्भिक निर्णय** वे निर्णय हैं जिन्हें *आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम* 1992 (*Imported Food Control Act 1992*) के उप खंड 42(2) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

नीचे तालिका 1 में दर्शाए गए अनुसार उप खंड 42(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रारम्भिक निर्णयों के लिए ही पुनर्विचार का अनुरोध किया जा सकता है। अन्य विषय खंड 42 के अधीन समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं।

नोट: खंड 42 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने से पहले विभाग आयातकों से किसी आयातित खाद्य पदार्थ के संबंध में किसी प्रारम्भिक निर्णय से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए **खाद्य सुरक्षा मैनेजर** (Food Safety Manager) से IFIS-InspectionSupport@agriculture.gov.au पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है। **खाद्य सुरक्षा मैनेजर** (Food Safety Manager) द्वारा 10 कारोबारी दिवसों में आपकी ईमेल का उत्तर दिया जाएगा।

निर्णय के पुनर्विचार का अनुरोध करने के अपने अधिकारों को समझने के लिए विधान के संबंधित भागों को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है।

तालिका 1 *आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम* 1992 (*Imported Food Control Act 1992*) के खंड 42 के अंतर्गत वे प्रारम्भिक निर्णय जिन पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

परिदृश्य	*आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम* 1992 (*Imported Food Control Act 1992*) के खंड 42 के अंतर्गत वे प्रारम्भिक निर्णय जिन पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
खाद्य पदार्थ निरीक्षण और/या विश्लेषण के अधीन है	खाद्य नियंत्रण प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए खंड 12 के अंतर्गत निर्णय जिसमें यह कहा जाता है कि जिस खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रमाणपत्र है, उसका निरीक्षण किया जाएगा, या निरीक्षण और विश्लेषण किया जाएगा
आपको आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण सलाह जारी की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि खाद्य पदार्थ निरीक्षण और/या विश्लेषण में विफल रहा है	आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण सलाह को जारी करने के लिए उप खंड 14(1) के अंतर्गत निर्णय, जिसमें खाद्य पदार्थ (उस खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त जो और अधिक आयातित खाद्य परामर्श के लिए आवेदन के अधीन होगा) को विफल खाद्य पदार्थ माना जाता है और उस खाद्य पदार्थ के संबंध में कार्रवाई के तौर-तरीकों को विनिर्दिष्ट किया जाता है।

आपने उस खाद्य पदार्थ के उसी हिस्से के संबंध में आयातित खाद्य पदार्थ के और अधिक निरीक्षण सलाह के लिए आवेदन किया है और आपके आवेदन को रद्द कर दिया गया है।	उप खंड 14(6) के अंतर्गत निर्णय जिसमें आयातित खाद्य पदार्थ के और अधिक निरीक्षण सलाह के आवेदन के लिए इंकार किया गया है।
आपने अस्वीकृत (विफल) खाद्य पदार्थ के भिन्न हिस्से के लिए आयातित खाद्य पदार्थ के और अधिक निरीक्षण सलाह के लिए आवेदन किया था। खाद्य पदार्थ का और अधिक निरीक्षण और/या विश्लेषण किया गया था और यह विफल रहा।	और अधिक आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण सलाह को जारी करने के लिए उप खंड 14(6) के अंतर्गत निर्णय जिसमें खाद्य पदार्थ को अस्वीकृत (विफल) खाद्य पदार्थ के रूप में चिह्नित किया गया है और उन तौर तरीकों को विनिर्दिष्ट किया जाना जिससे उस खाद्य पदार्थ के संबंध में कदम उठाए जाएंगे
विदेशी खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण प्रचालन के अनुमोदन को रद्द करना	उप खंड 19(3) के अंतर्गत किसी फैसले को रद्द करने का सचिव द्वारा किया गया निर्णय
खाद्य नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पिछले कन्साइन्मेंट को शोधित, नष्ट या उसका पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता है।	उप खंड 20 (13) के अंतर्गत सचिव का निर्णय जिसमें यह निर्देश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी न किया जाए जो उप खंड 20(2), (3) या (4) के अंतर्गत नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहा है।
जब तक बकाया शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, खाद्य नियंत्रण प्रमाणपत्र या आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण सलाह को जारी नहीं किया जाएगा	उप खंड 36 (8) के अंतर्गत सचिव का निर्णय जिसमें यह निर्देश दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा आयातित खाद्य पदार्थ के संबंध में प्रलेखन जारी न किए जाएं जो राष्ट्रकुल (कॉमनवैल्थ) को शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा है
नष्ट किए गए खाद्य पदार्थ के लिए दावे को अनुमोदित नहीं किया जाता है	उप खंड 39(1) के अंतर्गत सचिव का निर्णय

आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1992 (Imported Food Control Act 1992) के खंड 42 के अंतर्गत पुनर्विचार के लिए सचिव को आवेदन

आपका लिखित आवेदन:

- आपके द्वारा प्रारम्भिक निर्णय को पहली बार प्राप्त करने की तारीख से 28 दिनों के भीतर सचिव को दिया जाना चाहिए;
- आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1992 (Imported Food Control Act 1992) के खंड 42 के अंतर्गत आप जिस प्रारम्भिक निर्णय पर सचिव द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कृपया उप खंड 42 (2) में सूचीबद्ध प्रारम्भिक निर्णयों में से एक या अधिक के बारे में विशिष्ट संदर्भ दें।

आपके आवेदन को सचिव द्वारा प्राप्त करने की तारीख के 28 दिनों के भीतर आपको सचिव के निर्णय, और उस निर्णय के कारणों की लिखित सूचना दी जाएगी।

निम्नलिखित के माध्यम से अपने आवेदन को निदेशक, आयातित खाद्य पदार्थ को भेजें

ईमेल: foodimp@agriculture.gov.au

डाक:

Director, Imported Food

Department of Agriculture and Water Resources

GPO Box 858

Canberra ACT 2601

प्रशासनिक अपीलीय अधिकरण (एएटी) को आवेदन

यदि प्रारम्भिक निर्णय पर पुनर्विचार के उपरांत सचिव के निर्णय द्वारा आपके हित प्रभावित हुए हैं, तो आप सचिव के निर्णय की समीक्षा के लिए एएटी को आवेदन कर सकते हैं। यह समीक्षा प्रारम्भिक निर्णय पर सचिव के पुनर्विचार के बाद ही की जा सकती है।